1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी/टि0ए0/3953/2006/झालावाड** **कृष्णावतार बनाम रामकुमार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-08-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपास्थिति :-** श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी, खानुपर द्वारा दिनांक 04-05-2006 को प्रकरण संख्या 530/2004 शीर्षक रामकुमार बनाम कृष्णावतार में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी-वादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए वादपत्र में, प्रतिवादी-प्रार्थी की साक्ष्य को आक्षेपित निगरानीधीन आदेश से बन्द किया गया है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वादी-वर्तमान गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी-प्रार्थी को जबाबदावा प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना ही, अविधिक रुप से दिनांक 4-5-2006 को जबाब बन्द करने का आदेश प्रदान किया है जिससे कि प्रार्थी गुणावगुण पर न्याय से वंचित हो जाएगा। प्रकरण के जो तथ्य रहे हैं उसके अनुसार वादी, प्रतिवादी की भूमि में से अपने हिस्से अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहता है, जिसे यदि प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा तो न सिर्फ प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी बल्कि गुणावगुण आधारित न्याय भी नहीं हो सकेगा। अतः न्याय हित में निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित निगरानीधीन आदेश को अपास्त किया जाए और प्रार्थी-प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाए।	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **<u>निगरानी/टि0ए0/3953/2006/झालावाड</u>** **<u>कृष्णावतार बनाम रामकुमार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता का बहस में मुख्य रुप से यही उज्र रहा है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादीगण–गैर निगराकार की ओर से जो वाद प्रस्तुत किया गया था उसमें दिनांक 19–8–2004 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत किया जा चुका था अैर उनके द्वारा बाबजूद न्यायालय के निर्देशों से एक लम्बे समय तक अपना जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। कॉस्ट के आधार पर भी समय दिया गया है, अतः प्रतिवादी पक्ष की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में ही न्यायालय द्वारा जबाबदावा बन्द करने का अवसर दिया गया है। प्रतिवादी अनावश्यक रुप से प्रकरण को देरीना कर रहे हैं, अतःअधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से, निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत, निगरानीधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादीगण–गैर निगराकारान द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रतिवादी–वर्तमान निगराकारान के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश इस आशय का प्रस्तुत किया है कि “काफी समय व्यतीत हो जाने के बाबजूद भी जबाबदावा पेश करने में प्रतिवादी असफल रहे हैं, अतः जबाबदावा बन्द किया जाता है।” अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के आदेशिका के अनुसार पाया जाता है कि दावा पेश होने के बाद प्रतिवादी को जबाब प्रस्तुत करने के लिए दो बार कॉस्ट पर भी अवसर प्रदान किया गया है, और प्रतिवादी द्वारा जबाब पेश नहीं करने की स्थिति में ही अधीनस्थ न्यायलाय ने आक्षेपित निगरानीधीन आदेश दिनांक 4–5–06 से प्रतिवादी का जबाब प्रस्तुत करने के अवसर को बन्द किया गया है। किन्तु जैसा कि वादपत्र के अध्ययन के अनुसार, प्रकरण के तथ्य रहे हैं, उन्हें देखते हुये एवं प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जा सके इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुये, न्याय हित में प्रतिवादी का जबाब दावा रिकार्ड पर आना	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **<u>निगरानी/टि0ए0/3953/2006/झालावाड</u>** **<u>कृष्णावतार बनाम रामकुमार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवश्यक है। अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये व प्रकरण में गुणावगुण आधारित निस्तारण हो सके इस तथ्य के मद्दे नजर प्रार्थी–प्रतिवादी की निगरानी को स्वीकार किया जा कर उसे जबबदावा प्रस्तुत करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलतः निगरानी इस आशय के साथ स्वीकार की जाती है कि यदि प्रार्थी–प्रतिवादी द्वारा रुपये 2,000/– (अक्षरे रुपये दो हजार मात्र) वादी पक्ष को बतौर हर्जाना (कास्ट) अदा कर दिये जाते हैं तो उप खण्ड अधिकारी, खानुपर द्वारा दिनांक 04–05–2006 को पारित निगरानीधीन आदेश को निरस्त किया जाता है। कास्ट अदा करने की स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण में प्रतिवादी को जबाबदावा प्रस्तुत करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अंतिम अवसर पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। निर्धारित की गई कॉस्ट राशि अदा नहीं करने की स्थिति में यह आदेश प्रभाव में नहीं रहेगा। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 27–08–2018 को उप खण्ड अधिकारी, खानुपर के न्यायालय में उपस्थित हो कर विचाराधीन वाद में अपना जबाबदावा प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	